

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 252 / 15

संस्थापन दिनांक:-15 / 05 / 15

फाईलिंग नं. 233504002672015

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. रमेश पिता पन्ना गाढे, उम्र 40 वर्ष
2. देवराव पिता गोरे गाढे, उम्र 45 वर्ष,
दोनों निवासी ग्राम डोडावानी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 13.04.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 25.04.2015 को समय दिन 12:30 बजे या उसके लगभग प्रार्थिया के घर के सामने ग्राम डोडावानी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी कविता गाढे और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी कविता गाढे को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी कविता गाढे को धक्का देकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 25.04.2015 को समय करीब 12:30 बजे उसके घर पर अकेली थी तभी अभियुक्तगण उसके घर के सामने आये और उसे तथा उसके पति को जमीनी की बात को लेकर मां बहन की बुरी बुरी गालियां दिये। उसके द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण ने उसे धक्का देकर गिरा दिया जिससे उसे घुटने, पीठ में अंदरूनी चोटें आयी। अभियुक्तगण ने जाते जाते उसे आज तो बच गई दोबारा जिंदा नहीं छोड़ेंगे की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 223/15 पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी कविता को धक्का देकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 कविता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्तगण ने घटना के समय गाली गुप्तार किये थे। इस संबंध में साक्षी कमलेश (अ.सा.-5) अदेश (अ.सा.-6) ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को एवं उन्हें गाली गलौच की जाना बताया है।

6 साक्षी कविता (अ.सा.-1), कमलेश (अ.सा.-5) एवं अदेश (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय गाली गलौच किये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 फरियादी कविता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। इस संबंध में साक्षी कमलेश (अ.सा.-5) एवं अदेश (अ.सा.-6) ने प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उनकी मां एवं उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। कमलेश (अ.सा.-5) एवं अदेश (अ.सा.-6) ने अभियुक्तगण द्वारा उन्हें एवं उनकी मां को जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 कविता (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त रमेश एवं देवराव ने उसे धक्का देकर गिरा दिया था। अभियुक्त रमेश ने लकड़ी से भी मारपीट की थी जिससे उसे घुटने एवं पीठ पर चोट आयी थी। संपतिया (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसकी बहू कविता ने उसे यह बताया था कि अभियुक्तगण ने उसके साथ धक्का मुक्की की थी जिससे उसे चोट आयी थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने दिनांक 26.04.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत कविता का परीक्षण किये जाने पर आहत के पेट एवं दोनों घुटनों पर दर्द होना बताया है। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) को प्रमाणित किया है।

10 बिसनसिंह (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 26.04.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी की रिपोर्ट पर प्रदर्श पी-1 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया जाना। तत्पश्चात अपराध क्र. 223/15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तथा दिनांक 12.05.2015 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

11 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में सभी साक्षी एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं। साथ ही उनके कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। उभयपक्ष के मध्य पूर्व से जमीनी विवाद है जिसके कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए छोड़ा जावे। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तथ्य प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि मात्र हितबद्ध साक्षी होना ही किसी साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का आधार नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233** में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाह की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है।

13 कविता (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके घर के सामने की शाम के लगभग 5 बजे की है। घटना के समय वह घर पर अकेली थी। उसकी सास शौच के लिए गयी थी और घर के बाकी लोग गन्ना छिलने के लिए गये थे। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण उसके घर के बाहर आये और जमीन की बात पर से उसे धक्का देकर गिरा दिया। अभियुक्त रमेश ने उसके साथ लकड़ी से मारपीट की जिससे उसे घुटने एवं पीठ पर चोट आयी थी। संपत्तिया (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय शौच के लिए गयी थी तभी

उसे उसकी बहू कविता के चिल्लाने की आवाज आयी तो वह बाहर निकली तो उसने देखा कि अभियुक्तगण भाग रहे थे। उसे उसकी बहू कविता ने यह बताया था कि अभियुक्तगण बिस्तर पर आ गये थे और उसके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे।

14 कमलेश (अ.सा.-5) एवं अदेश (अ.सा.-6) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उनकी मां के साथ गाली गलौच की थी और जब वह और उसकी पत्नी घर पर आये तो अभियुक्तगण ने उनके साथ भी गाली गलौच की परंतु कोई मारपीट नहीं की थी।

15 कविता (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण के साथ उसका खेत को लेकर विवाद चला आ रहा है और हमेशा तू-तू मे-मे होते रहती है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि यदि अभियुक्तगण उसे जमीन दे देते तो कोई विवाद नहीं रहेगा और इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसके साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई थी और न ही लकड़ी से मारपीट हुई थी।

16 प्रकरण में शेष साक्षी संपतिया (अ.सा.-2), कमलेश (अ.सा.-5) और आदेश (अ.सा.-6) अनुश्रुत साक्षी हैं। उपर्युक्त साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी और उनका अभियुक्तगण से जमीन का विवाद है। साक्षी कमलेश (अ.सा.-5) और अदेश (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उनकी मां के साथ विवाद किया था। जबकि घटना की रिपोर्ट कविता (अ.सा.-1) अर्थात् अदेश (अ.सा.-6) की पत्नी के द्वारा लेख करायी गयी है। सभी साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं हैं और उनके कथनों में पर्याप्त विरोधाभास भी है। स्वयं साक्षी/फरियादी कविता (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्तगण के साथ कोई मारपीट न होना बताया है। उभयपक्ष के मध्य रंजिश का तथ्य स्थापित है। फरियादी कविता (अ.सा.-1) के चिकित्सकीय परीक्षण में कोई बाहरी चोट नहीं पायी गयी है और न ही उसकी साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित है। अतः इन परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी कविता गाढे और अन्य को क्षोभ

कारित किया एवं फरियादी कविता गाढे को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी कविता गाढे को धक्का देकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण रमेश एवं देवराव को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)